

# समाहरणालय औरंगाबाद

(जिला निर्वाचन कार्यालय)

## अल्पकालीन निविदा सूचना

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2015 को दृष्टिगत रखते हुए औरंगाबाद जिला में निर्वाचन संचालन के निमित्त विभिन्न प्रकार की सामग्री को क्रय करने एवं भाड़े पर लिए जाने की आवश्यकता होगी। उक्त अवसर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री यथा लेखन सामग्री, मतदान/मतगणना सामग्री, लिफाफा, प्रपत्र एवं पंजी मुद्रण तथा महत्वपूर्ण निदेशों/अनुदेशों की छायाप्रति, कम्प्यूटर जनित सामग्री, टेंट शामियाना, कुर्सी, टेबुल, दरी-जाजीम, अस्थायी विद्युतीकरण, माइक लाउडस्पीकर, बैरिकेटिंग, वाहन, वीडियोग्राफी, सीसी. टीवी डिजिटल कैमरा, मिनरल वाटर/कोल्डड्रिंक, चाय, भोजन एवं नास्ता के दर/भाड़ा निर्धारण हेतु अनुभवी एवं सक्षम प्रतिष्ठानों से द्विलिफाफा पद्धति के माध्यम से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। वैसे निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठान जो लेखन सामग्री मतदान/मतगणना सामग्री, प्रपत्र एवं पंजी मुद्रण, छायाप्रति, अस्थायी विद्युतीकरण, टेंट सामग्री एवं उपस्कर तथा कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री, वीडियोग्राफी, सीसी. टीवी, वाहन, चाय, मिनरल वाटर/कोल्डड्रिंक, नास्ता एवं भोजन आदि उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हैं एवं अधोअंकित शर्तों को पूरा करते हैं, वे दिनांक 22.08.2015 को अपराह्न 03:00 बजे तक मुहरबंद निविदा जिला निर्वाचन कार्यालय में समर्पित करेंगे। निविदा का प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, औरंगाबाद से 500.00 रुपये निर्वाचन नज़ारत में जमा कर दिनांक 19.08.2015 को अपराह्न 03:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 22.08.2015 को ही अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी प्रत्येक कार्यदिवस को उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के दूरभाष संख्या 08544429874 या 06186-222362 पर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की विस्तृत विवरणी औरंगाबाद के वेबसाइट [www.aurangabad.bih.nic.in](http://www.aurangabad.bih.nic.in) पर देखी जा सकती है।

### निविदा की शर्तें:-

- 1) निविदा आईटमवार अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में ही स्वीकार किया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

- 2) निविदा द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आमंत्रित की गई है। प्रथम मुहरबंद लिफाफा में तकनीकी निविदा से संबंधित कागजात होंगे तथा द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में वित्तीय निविदा होगी जिसमें फर्म के द्वारा आईटमवार दर दिया जाना होगा।
- 3) वैसे फर्म जो तकनीकी निविदा में सफल होंगे केवल उसी फर्म की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- 4) फर्म को पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा तथा विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
- 5) निविदादाताओं को वाणिज्यकर एवं सेवाकर विभाग से निबंधित होनी चाहिए तथा निविदा के साथ सेवा कर एवं वाणिज्यकर का अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 6) ग्रुप 'जी', 'एच' एवं 'आई' को छोड़कर ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ, के लिए निविदा देनेवाले प्रतिष्ठान/फर्म को विगत तीन वर्षों का मो0 50,00,000 /-(पचास लाख) रुपये के वार्षिक टर्न ओवर का audited balance Sheet समर्पित करना होगा।
- 7) फर्म को बिहार लघु उद्योग तथा SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT के तहत निबंधित होना अनिवार्य है। निविदादाता को इसका निबंधन प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- 8) उपरोक्त वर्णित सामग्री का नौ समूह में वर्गीकरण किया गया है। ग्रुप एच एवं आई को छोड़कर ग्रुप ए, बी, सी, डी, ई, एफ एवं जी के लिए 20,000 /-(बीस हजार रुपये) की प्रतिभूति राशि प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग-अलग जमा करनी होगी। यह राशि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पदनाम से निर्गत क्रॉसड बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नाजीर रसीद के माध्यम से जमा की जा सकती है।
- 9) तकनीकी निविदा के साथ लेखन सामग्री, मतदान/मतगणना सामग्री, प्रपत्र, लिफाफा एवं पंजी के लिए नमूना संलग्न करना अनिवार्य है। क्रय समिति के द्वारा तकनीकी निविदा के निष्पादन के क्रम में किसी सामग्री/प्रपत्र का नमूना अनुमोदित किये जाने के पश्चात् ही उक्त फर्म की उक्त सामग्री/प्रपत्र के लिए दी गयी वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। वित्तीय निविदा खोलने के बाद अनुमोदित नमूना के आधार पर न्यूनतम दर का निर्धारण किया जायेगा।
- 10) निविदा प्रपत्र 500 /-रुपया में जिला निर्वाचन कार्यालय, औरंगाबाद के नजारेत से उपलब्ध होगा। वैसे निविदादाता जो निर्धारित प्रपत्र में निविदा नहीं देंगे उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 11) कार्य हित में स्थानीय फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर कार्यादेश एक से अधिक फर्मों को निर्गत किया जायेगा।

